न्यायालय : अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 2 राजगढ़, जिला– अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : रचना मीना *R.J.S.*

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या : 23/300/26 (492/2015)
सी.आई.एस. नम्बर : 4666/2015
एफआईआर संख्या : 452/20105
पुलिस थाना : राजगढ़
राजस्थान राज्य **बनाम** श्रीराम वगैरा
अपराध अन्तर्गत धारा 379, 411, 482, 489 भा.दं.सं.
भाग–1
अ

शिकायतकर्ता	श्री शंभूदयाल
अधिवक्ता परिवादी	सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व विवरण	01. श्रीराम पुत्र रामकरण निवासी ग्राम सुरेर पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर राजस्थान– **मफरूर दिनांक 15.04.2026 से।** 02. बबलू पुत्र रामखिलाडी निवासी ग्राम सुरेर पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर राजस्थान।
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री भगवती प्रसाद मीना

ब

अपराध की तारीख	11.08.2015
एफआईआर की दिनांक	11.08.2015
चालान पेश करने की दिनांक	16.12.2015
आरोप लगाने की दिनांक	03.10.2025
साक्ष्य अभियोजन प्रारंभ व समाप्ति	प्रारंभ दिनांक 21.11.2025 समाप्ति दिनांक 15.04.2025
दिनांक जिस पर निर्णय रिजर्व रखा गया	निल
निर्णय दिनांक	15.04.2025
सजा आदेश देने की दिनांक, यदि हो	15.04.2025

स

रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की दिनांक	जमानत पर रिहाई	आरोप धारा	बरी या सजा	सजा	धारा 428 दं.प्र.सं. के उद्देश्य के

			की दिनांक				**लिये अंवीक्षा के दौरान निरोध में गुजारी गयी अवधि**
1.	श्रीराम	12.08.2015	04.09.2015	379, 411, 482, 489 आईपीसी	**मफरूर**	—	—
2.	बबलू	13.08.2015	04.09.2015	379, 411, 482, 489 आईपीसी	सजा	कारावास व अर्थदण्ड	23 दिवस

भाग –2

अभियोजन साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची

अ. अभियोजन साक्षीगण

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार, (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)**
पी. डबल्यू 01	विजय	पंच साक्षी
पी. डबल्यू 02	शंभूदयाल	परिवादी
पी. डबल्यू 03	सुरेन्द्र सिंह	अनुसंधान अधिकारी

ब. बचाव साक्षीगण

रैंक	**नाम**	**सक्ष्य का प्रकार, (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)**
निल	निल	निल

अभियोजन व बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची

अ. अभियोजन पक्ष

कमांक	**प्रदर्श कमांक**	**विवरण**
1	प्रदर्श पी 01	फर्द निशादेही घटनास्थल
2	प्रदर्श पी 02	फर्द जब्ती मोटरसाईकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस रंग काला नंबर आरजे 29–8513
3	प्रदर्श पी 03	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम बबलू
4	प्रदर्श पी 04	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम श्रीराम
5	प्रदर्श पी 05	तहरीरी रिपोर्ट
6	प्रदर्श पी 06	चाक एफआईआर

7	प्रदर्श पी 07	फर्द निरीक्षण घटनास्थल
8	प्रदर्श पी 08	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम बबलूराम
9	प्रदर्श पी 09	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम श्रीराम
10	प्रदर्श पी 10	परिवादी जयराम के द्वारा पुलिस थाना थानागाजी में दर्ज करवाई गयी एफआईआर की प्रमाणित प्रति

ब. बचाव पक्ष

क्रमांक	**प्रदर्श क्रमांक**	**विवरण**
निल	निल	निल

नि र्ण य **दिनांकः 15.04.2026**

01. प्रकरण में **अभियुक्त श्रीराम मफरूर** है। अतः प्रकरण का निस्तारण **मुलजिम बबलू** की हद तक किया जा रहा है।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी शंभूदयाल ने एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 पुलिस थाना राजगढ में इस आशय की पेश की कि दिनांक 11.08.2015 को वह मय हमराही कांस्टेबल रतनलाल 1396, सरपू खान 1752 के मय जीप प्राईवेट के समय 06:05 पीएम पर वास्ते गश्त कस्बा राजगढ हेतु रवाना होकर गोल–चौराहा गश्त करता हुआ रेलवे स्टेशन कॉलेज रोड, टहला बाईपास पहुंचा। जहां मुखबीर खास ने इत्तला दी कि सुरेर गांव के श्रीराम व बबलू एक काले रंग सफेद पट्टी की हीरो स्पलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल पर सुरेर गांव से राजगढ के लिये रवाना हुये हैं, जिनके पास चोरी की मोटरसाईकिल है। दौसा जिले के फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी है। मुखबीर के इत्तला पर वह मय हमराही जाप्ता के बांदीकुई बाईपास पहुंचे। मुताबिक इत्तला मुखबीर के वाहनों की चैकिंग की। दौराने चैकिंग दौसा नंबर आरजे 29 नंबर प्लेट की मोटरसाईकिल आती दिखाई दी, जिसको रूकाने का प्रयास किया तो मोटरसाईकिल सवार मोटरसाईकिल को घुमाकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसको हमराही मुलाजमान की मदद से पकडा और मोटरसाईकिल के कागजात के बारे में पूछा तेा खो जाना बताया, जिनको तसल्ली देकर नाम पता पूछा तो एक ने उसका नाम श्रीराम व दूसरे ने उसका नाम बबलू होना बताया। मोटरसाईकिल के बारे में पूछा तो संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। पूर्ण तसल्ली देकर पूछने पर मोटरसाईकिल के कोई कागजात नहीं होना बताया एवं सालभर पहले थानागाजी भीकमपुरा से चुराना बताया। नंबर के बारे में पूछा गया तो मोटरसाईकिल की असल नंबर प्लेट को हटाकर दौसा जिले के नंबर आरजे 29–8513 की नंबर प्लेट लगाना बताया। मोटरसाईकिल को चैक किया तो मोटरसाईकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस रंग काला सफेद पट्टी है, जिसके इंजन नंबर HA10EJDHF67551 व चैसिस नंबर MBLHA10AMDHF92246 है। असल नंबर अलवर जिला के होना बताया जो याद होना नहीं बताया। उक्त शख्सों का चोरी की मोटरसाईकिल की असल नंबर प्लेट बदलकर फर्जी नंबर की प्लेट लगाकर अपने कब्जे में रखना धारा 379, 411, 420 आईपीसी की नोहियत का पाये जाने पर मौके पर उक्त मोटरसाईकिल को जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया एवं मुलजिमान श्रीराम व बबलू को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द

गिरफ्तार कर जप्तशुदा मोटरसाईकिल एवं मुलजिमान श्रीराम व बबलू के रवाना होकर वापस थाना आया.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर एफआईआर संख्या 452/2015 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 16.12.2015 को आरोप पत्र अंतर्गत धारा 379, 411, 482, 489 आईपीसी का न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया।

03. अभियुक्त बबलू को अपराध अंतर्गत धारा 379, 411, 482, 489 भा.द. स. के पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्त ने आरोप को सुन समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अभियुक्त बबलू के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्व किये गये। प्रतिरक्षा साक्ष्य में कोई गवाह पेश नहीं करना चाहा जिस पर प्रतिरक्षा साक्ष्य बंद की गयी।

05. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौरान बहस अभियोजन अधिकारी ने तर्क पेश किये कि अभियोजन ने समस्त अभियोजन साक्षी की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध सिद्ध किया है। अतः अभियुक्त को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जावे।

दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि अभियुक्त को प्रकरण में झूंठा व रंजिशवश फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा वक्त घटना कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रकरण में परीक्षित समस्त गवाहान पुलिसकर्मी हैं। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध धारा से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

06. बहस अंतिम सुनी गई व पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है किः—

1. क्या दिनांक 11.08.2015 को किसी समय पर एस.आई शंभूदयाल ने दौराने नाकाबंदी रेलवे स्टेशन रोड टहला बाईपास पर मुलजिम बबलू को अन्य साथी के साथ मोटरसाईकिल हीरो स्पलेण्डर आरजे 29—8513 की नंबर प्लेट लगी हुयी पर जाते हुये को चैक किया तो अभियुक्त के पास उक्त मोटरसाईकिल के कागजात नहीं मिले जिसे आपने थानागाजी भीकमपुरा से परिवादी की सहमति के बिना चोरी करना बताया तथा उक्त मोटरसाईकिल को यह जानते हुये कि वह चोरी की है अपने कब्जे में रखा। साथ ही जो मोटरसाईकिल मिली, उस पर अभियुक्त ने आरजे 29—8513 के नंबर प्लेट लगा रखी थी, जबकि उस मोटरसाईकिल के इंजन नंबर HA10EJDHF67551 व चैसिस नंबर MBLHA10AMDHF92246 थे, जिसके दस्तावेजीय नंबर कुछ और थे। इस प्रकार अभियुक्त ने मिथ्या नंबर प्लेट का उपयोग किया तथा मिथ्या नंबर वाली नंबर—प्लेट मोटरसाईकिल स्वामी को क्षति कारित करने के आशय से लगाई ?

2. यदि हॉ तो उनके उपयुक्त दण्ड क्या होंगे ?

07. उक्त विचारणीय बिन्दू को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 3 गवाहान को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया है।

08. प्रकरण के परिवादी शंभूदयाल ने एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 पुलिस थाना राजगढ में इस आशय की पेश की कि दिनांक 11.08.2015 को वह मय हमराही कांस्टेबल रतनलाल 1396, सरपू खान 1752 के मय जीप

प्राईवेट के समय 06:05 पीएम पर वास्ते गश्त कस्बा राजगढ हेतु रवाना होकर गोल–चौराहा गश्त करता हुआ रेलवे स्टेशन कॉलेज रोड, टहला बाईपास पहुंचा। जहां मुखबीर खास ने इत्तला दी कि सुरेर गांव के श्रीराम व बबलू एक काले रंग सफेद पट्टी की हीरो स्पलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल पर सुरेर गांव से राजगढ के लिये रवाना हुये हैं, जिनके पास चोरी की मोटरसाईकिल है। दौसा जिले के फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी है। मुखबीर के इत्तला पर वह मय हमराही जाप्ता के बांदीकुई बाईपास पहुंचे। मुताबिक इत्तला मुखबीर के वाहनों की चैकिंग की। दौराने चैकिंग दौसा नंबर आरजे 29 नंबर प्लेट की मोटरसाईकिल आती दिखाई दी, जिसको रूकाने का प्रयास किया तो मोटरसाईकिल सवार मोटरसाईकिल को घुमाकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसको हमराही मुलाजमान की मदद से पकडा और मोटरसाईकिल के कागजात के बारे में पूछा तेा खो जाना बताया, जिनको तसल्ली देकर नाम पता पूछा तो एक ने उसका नाम श्रीराम व दूसरे ने उसका नाम बबलू होना बताया। मोटरसाईकिल के बारे में पूछा तो संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। पूर्ण तसल्ली देकर पूछने पर मोटरसाईकिल के कोई कागजात नहीं होना बताया एवं सालभर पहले थानागाजी भीकमपुरा से चुराना बताया। नंबर के बारे में पूछा गया तो मोटरसाईकिल की असल नंबर प्लेट को हटाकर दौसा जिले के नंबर आरजे 29–8513 की नंबर प्लेट लगाना बताया। मोटरसाईकिल को चैक किया तो मोटरसाईकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस रंग काला सफेद पट्टी है, जिसके इंजन नंबर HA10EJDHF67551 व चैसिस नंबर MBLHA10AMDHF92246 है। असल नंबर अलवर जिला के होना बताया जो याद होना नहीं बताया....इत्यादि।

09. प्रकरण का फरियादी शंभूदयाल पी.ड. 2 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है, जिसने सशपथ कथन कहे कि वह दिनांक 11.08. 2015 को एसआई के पद पर पीएस राजगढ में पदस्थापित था। उस दिन वह, कांस्टेबल, रतनलाल, सरफू खान, के साथ शाम को 06:05 पीएम पर प्राईवेट जीप से गश्त हेतु पीएस राजगढ से रवाना होकर गोल चौराहा, रेलवे स्टेशन, कॉलेज रोड टहला बायपास पर पहुंचे तो मुखबिर खास ने इत्लाह दी की सुरेर गांव का श्रीराम व बबलू मीना एक काले रंग की सफेद पट्टी की हीरो स्पलेंडर प्लस मोटरसाइकिल पर सुरेर गांव से राजगढ के लिये रवाना हुये है, जिनके पास में चोरी की मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल पर दौसा जिले की फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी है। मुखबिर की इत्लाह पर मन एसआई मय जाप्ते के बांदीकुई बायपास पहुंचा तो मुताबिक मुखबिर इत्लाह के वाहनों की जांच की। दौराने जांच दौसा नंबर आरजे 29 नंबर की मोटरसाइकिल आती दिखायी दी। जिसकों रूकवाने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल को घुमाकर भागने का प्रयास किया। जिसकों हमराही जाप्ते की मदद से पकडा। मोटरसाइकिल के दस्तावेज के बारे में पूछा तो खो जाना बताया। जिनकों तसल्ली देकर उनका नाम पता पूछा तो एक ने उसका नाम श्रीराम पुत्र रामकरण उम्र 19 साल निवासी सुरेर व दूसरे ने उसका नाम बबलू पुत्र रामखिलाडी उम्र 22 साल निवासी सुरेर होना बताया। मोटरसाइकिल के बारे में पूछने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया एवं कोई कागजात नहीं होना बताया। साल भर पहले थानागाजी भिगमपुरा से चोरी कर लाना बताया व पुलिस से बचने के लिये असल नंबर प्लेट को हटाकर दौसा जिले के नंबर प्लेट आरजे 29 8513 नंबर प्लेट को लगाना बताया।

मोटरसाइकिल को चैक किया तो मोटरसाइकिल हीरो स्पलेंडर प्लस रंग काला सफेद पट्टी जिसके इंजन नंबर HA10EZDHH67551 व चैसिस नंबर MBLHA10AMDHF92246 है। असल नंबर अलवर जिले का होना बताया व वक्त चैंकिग नंबर याद नहीं होना बताया। उक्त शख्सों का चोरी की मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बदलकर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अपने कब्जे में रखना धारा 379, 411, 420 आईपीसी की नोहियत का पाया जाने पर मौके पर उक्त मोटरसाइकिल को जुदागाना फर्द जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। हमराही जाप्ते में से ही सरफू व रतनलाल को मौतबीर मामूर कर श्रीराम व बबलू के कब्जे से मिली मोटरसाइकिल को जरिये फर्द प्रदर्श पी 02 जप्त किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मुलजिमान को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया। फर्द गिरफ्तारी मुलजिम बबलू प्रदर्श पी 03 व श्रीराम प्रदर्श पी 04 है, जिन दोनों पर उसके हस्ताक्षर है। मय माल मुलजिम वापसी थाना आया। माल जमा मालखाना करवाया। मुलजिम को बंद हवालात किया। थानाधिकारी लालसिंह को अभियोग पंजीबद्व कराने हेतु हस्तलिखित तहरीर पेश की जो कि प्रदर्श पी 05 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 06 है, जिन दोनों पर उसके हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा गवाह से इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया गया है जिससे उक्त गवाह की मुख्य परीक्षा खण्डित होती हो।

अर्थात प्रकरण के परिवादी के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 तथा न्यायालय के समक्ष हुये बयानों में यह स्पष्ट रूप से जाहिर किया गया है कि उसके द्वारा दौराने नाकाबंदी अभियुक्त के कब्जे से उक्त मोटरसाईकिल को जब्त किया गया, जिस संबंध में अभियुक्त से मोटरसाईकिल के कागजात के बारे में पूछा तो कोई कागजात नहीं होना बताया तथा साल भर पहले थानागाजी भीकमपुरा से चोरी कर लाना बताया व पुलिस से बचने के लिये असल नंबर प्लेट को हटाकर दौसा जिले के नंबर प्लेट आरजे 29–8513 को लगाना बताया। मोटरसाइकिल को चैक किया तो मोटरसाइकिल हीरो स्पलेंडर प्लस रंग काला सफेद पट्टी जिसके इंजन नंबर HA10EZDHH67551 व चैसिस नंबर MBLHA10AMDHF92246 है। असल नंबर अलवर जिले का होना बताया व वक्त चैंकिग नंबर याद नहीं होना बताया। साथ ही पत्रावली का अवलोकन करें तो पत्रावली पर उक्त मोटरसाईकिल हीरो असल नंबर आरजे 02 सीएस 1240 की चोरी के संबंध में दर्ज करवाई गयी एफआईआर नंबर 196/2014 पीएस थानागाजी, जिला अलवर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 10 संलग्न है जिससे भी यह साबित होता है कि अभियुक्त के कब्जे से जो मोटरसाईकिल जब्त की गयी वह चोरी की थी। मुलजिमान के द्वारा स्वयं उक्त मोटरसाईकिल को साल भर पहले चोरी कर लाना बताया है तथा उक्त के खण्डन में अभियुक्त बबलू की ओर से कोई भी प्रतिरक्षा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गयी है।

10. गवाह पी डबल्यू 01 विजय हस्तगत प्रकरण के मुलजिम श्रीराम के द्वारा धारा 27 की इत्तला दिये जाने पर मोटरसाईकिल चोरी किये गये स्थान का तस्दीक नक्शा प्रदर्श पी 01 स्वयं के समक्ष बनाया जाना तथा उक्त फर्द पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में साक्ष्य न्यायालय के समक्ष व्यक्त करता है।

11. गवाह पी डबल्यू 03 सुरेन्द्र सिंह प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है जो हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान किया जाना अपनी साक्ष्य में व्यक्त करता है। दौराने जिरह गवाह ने इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया गया है जिससे उक्त गवाह की मुख्य परीक्षा खण्डित होती हो।

12. अतः उक्त संपूर्ण साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे साबित होता है कि मुलजिम बबलू के कब्जे से ही हाजा प्रकरण की चुराई हुई मोटरसाईकिल जब्त की गई हैं। हाजा प्रकरण की जब्तशुदा मोटरसाईकिल मुलजिम के कब्जे में कैसे आई, इसके संबंध में कोई साक्ष्य मुलजिम द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में पेश नहीं की है तथा उक्त मोटरसाईकिल पर मिथ्या नंबर वाली प्लेट लगाकर उपयोग में लाया गया। अतः अभियुक्त **बबलू** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 379, 411, 482, 489 आईपीसी में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—::आदेश::—

13. अतः अभियुक्त **बबलू पुत्र रामखिलाडी निवासी ग्राम सुरेर पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर राजस्थान** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 379, 411, 482, 489 आईपीसी के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

प्रकरण में **अभियुक्त श्रीराम** पुत्र रामकरण निवासी ग्राम सुरेर पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर राजस्थान को **दिनांक 15.04.2026** को **मफरूर** घोषित किया गया है।

(रचना मीना)

: सजा का बिन्दु :

14. सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से निवेदन किया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है एवं उसके विरूद्ध पूर्व की दोषसिद्धि या आदतन अपराधी होने बाबत् कोई प्रमाण भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाकर परिवीक्षा पर छोड़ दिये जाने का निवेदन किया।

जिसका विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने विरोध किया और अभियुक्त को उनके द्वारा कारित अपराध के लिये उचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

15. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का पुनः ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल बरामद होने का आरोप प्रमाणित हुआ है, जिस मोटरसाईकिल को दौराने नाकाबंदी परिवादी शंभूदयाल के द्वारा जब्त किया गया है। ऐसे में यदि अभियुक्त को परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाता है तो इससे समाज में गलत संदेश जावेगा। लिहाजा अभियुक्त बबलू को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

: दंडादेश :

16— अतः अभियुक्त **बबलू पुत्र रामखिलाडी निवासी ग्राम सुरेर पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर राजस्थान** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 379, 411, 482, 489 भा0दं0स0 में निम्नानुसार दोषसिद्ध किया जाता हैः—

अभियुक्त का नाम	दोषसिद्धी अपराध अंतर्गत धारा	दण्ड/अर्थदण्ड	व्यतिक्रम कारावासीय दण्ड
1. बबलू पुत्र रामखिलाडी	379 आईपीसी	20 दिवस का साधारण कारावास व 300/– रुपये अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 2 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा
	411 आईपीसी	20 दिवस का साधारण कारावास व 300 रूपये अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 2 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा
	482 आईपीसी	10 दिवस का साधारण कारावास व 200 रूपये अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 1 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा
	489 आईपीसी	10 दिवस का साधारण कारावास व 200 रूपये अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 1 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा

17. अभियुक्त का नियमानुसार सजा वारंट मूर्तिब हो। अभियुक्त द्वारा पूर्व में पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गयी समयावधि को धारा 428 सीआरपीसी के अंतर्गत मूल सजा में समायोजित किया जावे। अभियुक्त की सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी।

धारा 437ए द.प्र.सं. 1973 के प्रावधानानुसार इस निर्णय के विरूद्ध दाखिल किसी अपील या याचिका के संबंध में अभियुक्तगण को अगले अपीलीय न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के संबंध में दस हजार रूपये की राशि की प्रतिभूति सहित जमानत बन्ध.पत्र पेश करने के आदेश भी दिये जाते हैं। उक्त जमानत बन्ध पत्र छः मास तक प्रवृत रहेगा, जो आदेशानुसार जमा करवाये गये।

(रचना मीना)

18. निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(रचना मीना)